1.1 AIPP का संविधान एवं उपनियम

(8 सितंबर 2012 को AIPP की छठवीं महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित)

प्रावधान

प्रस्तावना

हम, एशिया के आदिवासी संगठन और आंदोलन एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं विश्वास लिए साथ आते हैं, अपने लोगों की आकांक्षाओं, वर्तमान परिस्थिति के मुद्दों तथा इतिहास पर एक दूसरे के साथ जानकारी बांटकर, विचार कर और गहराई से सोचकर अपनी जन्मभूमि और पैतृक जमीन पर अपने अधिकार की अभिव्यक्ति दृढ़तापूर्वक करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, अपने भूमि प्रदेशों और संसाधनों की रक्षा उपयोग तथा उनका विकास, अपनी परंपरा, मूल्यों तथा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त रीति से करने के लिए आत्मनिर्णय के अपने अधिकार की घोषणा करते हुए इसके (संविधान) उपनियमों को नियत कर इसकी घोषणा करते हैं।

धारा 1. नाम

भाग –1. संगठन का नाम एशिया इंडोजीनस पीपल्स पैक्ट (एशिया आदिवासी संधि) होगा इसके बाद इसे AIPP कहा जाएगा।

धारा –2. कार्यालय

भाग –1. AIPP का सचिवालय महासभा द्वारा निश्चित की गयी जगह पर होगा।

धारा–3. सील (मोहर)

भाग –1. संगठन का लोगो (प्रतीक चिन्ह)

लोगो में बुनाई की बानगी एशिया क आदिवासियों में बहनत्व तथा बंधुत्व, अंतसंबद्ध तथा समरसतापूर्ण संबंधों के साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति की समृद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता हैं। AIPP के अस्तित्व में रहने का अर्थ तथा इसकी भूमिका का महत्व बताने के लिए बुनाई की बानगी में "AIPP" अक्षर वस्तुतः एक दूसरे के साथ बुने गए हैं। लाल रंग एशिया के आदिवासियों में प्रमुखता रखता है यह आदिवासियों के संघर्ष की सामूहिक शक्ति एवं एकता का परिचायक है। दाहिने तथा बाए किनारे पर सफेद AIPP के उप क्षेत्रीय गठन को दर्शाते हैं। "AIPP" के रंगीन अक्षर आदिवासियों के पारिस्थितिकि तंत्र के लोग होने की बात बताते हैं।

धारा –4. निबंधन एवं आधिकारिक मान्यता

भाग –1. वर्ष 2005 से चियांग माई, थाईलैंड, में संगठन कानूनी रूप से सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक लाभ निरपेक्ष गैर सरकारी संगठन के रूप में एक न्यास (एशिया इंडीजीनस पीपल्स पैक्ट फाउंडेशन) के रूप में निबंधित है।

भाग –2. जुलाई 2012 से AIPP को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में विशेष परामर्शक की भूमिका वाले NGO के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।

भाग –3. AIPP को वर्ष 2011 में यू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) की आधिकारिक मान्यता मिली तथा जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) को मान्यता मिली।

धारा –5. संगठन की प्रकृति (स्वरूप)

भाग –1. संगठन की प्रकृति एशिया में आदोलनों का प्रतिनिधित्व करते आदिवासी संगठनों के क्षेत्रीय संघ के रूप में होगी जो आंदोलनों तथा सदस्य संगठनों के बीच एकता और एकात्मकता का समर्थन करे, सुदृढ़ करे तथा बढ़ावा द।

धारा –6 उद्देश्य

भाग –1. एक ऐसे संगठन के रूप में अपनी सेवा दें जहां अनुभवों, विचारो, आकांक्षाओं का आदान–प्रदान होता है तथा जो एशिया में आदिवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सामान्य कार्यसूची तथा कार्यक्रम के विकास के लिए सहयोग एकता तथा तालमेल को सशक्त बनाती है।

भाग–2 विभिन्न पर अपने मुद्दों तथा चिंताओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए महिलाओं तथा युवाओं समेत आदिवासी समुदायों, संगठनों तथा संस्थानों की क्षमता वृद्धि करना।

भाग –3. सदस्य संगठनों की जरूरतों, प्रमुख तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम विकसित करना।

भाग–4. सभी स्तरों पर आदिवासियों के उद्देश्यों (आंदालनों) का समर्थन करना तथा संबधित राष्ट्रीय क्षत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के साथ ही साथ उपयुक्त संस्थानों तथा एजेंसियों के साथ संलग्न होना (काम लेना)

भाग –5. समर्थन तथा हिमायत करने वाली संस्थाओं के साथ सम्पर्क, नेटवर्किंग और समन्वय को मजबूत करना, एशिया में आदिवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही साथ समानता, शांति, लोकतंत्र तथा न्याय हासिल करने में सहयोग देना।

धारा –7. दृष्टि, उद्देश्य और ध्येय

भाग –1. दृष्टि : एशिया के आदिवासी अपने अधिकारों, विशिष्ट संस्कृति और पहचान का पूरा उपयोग कर रहे हैं और मर्यादा क साथ जीवन जीते हुए अपने भविष्य तथा शांति, न्याय और समानता के वातावरण में भूमि क्षेत्रों और संसाधनों के अपनी चिरकालिक प्रबंधक प्रणाली वृद्धि कर रहे हैं।

भाग–2. आदिवासियों के विकास और आत्मनिर्णय के लिए AIPP एशिया के आदिवासियों में एकता सहयोग तथा योग्यता को सुदृढ़ बना उनके अधिकारों, संस्कृति तथा पहचान और उनकी चिरकालिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा और संरक्षण देती है।

भाग –3. ध्येय

3.1 UNDRIP तथा अन्य अतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के तहत एशिया के आदिवासियों के मानवाधिकार आर मूलभूत स्वतंत्रता और अपनी पहचान के कानूनी स्वीकृति के दावे तथा सामूहिक अधिकारों की रक्षा तथा बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों को सशक्त बनाना।

3.2 आदिवासी आंदोलन को मजबूती देने के लिए एशिया के आदिवासियों में ज्यादा से ज्यादा एकता और सहयोग का निर्माण करना।

3.3 आदिवासियों के भूमि क्षेत्रों तथा संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा प्रकृति तथा पर्यावरण की अखंडता का संरक्षण और बढ़ावा देना तथा आदिवासियों के पंरपरागत ज्ञान, भोजन की संप्रभुता और जैव विविधता समेत उनके चिरकालिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना।

3.4 निर्णय निर्माण के सभी स्तरों पर खास तौर पर आदिवासी महिलाओं और युवाओं समेत आदिवासियों की पूर्ण और प्रभावी सहभागिता और प्रतिनिधित्व प्राप्त करना।

3.5 निष्पक्षता, समानता शांति लोकतंत्र और न्याय की प्राप्ति के लिए अन्य सामाजिक आंदोलनों क साथ एकता तथा सहयोग को सुदृढ़ बनाना।

धारा– 8 सदस्यता

भाग –1. AIPP के लक्ष्यों, उद्देश्यों का समर्थन करने वाले एशिया के आदिवासी महिला और युवा संगठनों तथा नस्लीय संगठनों समेत सभी आदिवासी संगठनों और आंदोलनों के लिए AIPP की सदस्यता खुली है।

भाग –2 AIPP का सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले आंदोलनों और संगठनों को आवेदन पत्र भरकर संगठन के विषय कार्यकारी परिषद को जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जो भावी सदस्य के बारे निर्णय लेगी जबकि अंतिम अनुमोदन महासभा द्वारा किया जाएगा।

भाग–3 संगठन या आंदोलन के स्तर के अनुसार सदस्यता तीन श्रेणियों वाली है।

- स्थानीय श्रेणी (स्थानीय या सामुदायिक संगठन/आंदोलन)
- उप राष्ट्रीय श्रेणी (राज्य या प्रांतीय स्तर के संगठन/आंदोलन)
- राष्ट्रीय श्रेणी (राष्ट्रीय स्तर के संगठन/आंदोलन)

भाग–4 प्रबंधनीयता, संगठन के एकीकरण की जरूरत, भौगोलिक संतुलन तथा महिला और युवा संगठनों की सदस्यता पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा।

धारा –9. संगठनों का नेटवर्क

भाग –1. AIPP नेटवर्क के रूप में भी कार्य करता है और यह ऐसे दूसरे आदिवासी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करेगा जो AIPP के नेटवर्क का हिस्सा तो बनना चाहते है पर सदस्य नहीं बनना चाहते। सम्पर्कों के ऐसे नेटवर्क को AIPP के परियोजना भागीदार समेत इसके अन्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और यह नियमित तौर पर समाचार तथा प्रकाशित सामग्री प्राप्त करेंगे।

भाग –2. AIPP के सामान्य कार्यक्रमों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप मुख्य घटनाओं, प्राथमिकता वाले मुद्दों और उप क्षेत्र से संबंधित तंत्र और अन्य मुद्दों पर परामर्श के लिए AIPP दो महासभा के बीच के अंतराल में सदस्यों, भागीदारों और नेटवक से संबंध रखने वालों के लिए उपक्षेत्रीय सभा का आयोजन करेगी।

धारा–10. महासभा

भाग –1. AIPP के सभी सदस्यों के विधिवत मनोनीत सदस्य महासभा में शामिल होंगे।

भाग –2. निर्णय लेने के लिए महासभा संगठन की सर्वोच्च संस्था है।

भाग –3. महासभा में सभी निर्णय सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आम सहमति से लिए जाएंगे।

भाग –4. कार्यकारी परिषद द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में महासभा का आयोजन किया जाएगा।

भाग –5. महासभा कार्यकारी परिषद का गठन करेगी।

धारा 11. न्यास बोर्ड

भाग –1. AIPP क सदस्यों में भूतपूर्व अध्यक्षों तथा महासचिवों में से चुने गए व्यक्तियों के अलावा जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है वे आयोजक देश के नागरिक होंगे जिन्होंने आदिवासियों और AIPP के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रति समर्थन का प्रदर्शन किया हो।

भाग –2. बोर्ड के सदस्य होंगे – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष जो आयोजक देश के सदस्य हैं और अन्य बोर्ड सदस्य।

धारा 12. कार्यकारी परिषद

भाग –1. कार्यकारी परिषद दो महासभा की बीच की अवधि में निर्णय लेने की संस्था होगी।

भाग –2. कार्यकारी परिषद के गठन का स्वरूप

- सहमति प्राप्त AIPP के प्रत्येक उप क्षेत्रीय समूह से विधिवत चुने गए नेताओं का चयन संबंधित उपक्षेत्र के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- अध्यक्ष तथा महासचिव का चुनाव सीधे महासभा द्वारा किया जाएगा।
- युवा और महिला प्रतिनिधि महासभा द्वारा अनुमोदन के लिए एक प्रतिनिधि का मनोनयन करेंगे।
- कार्यकारी परिषद क गठन में महासभा द्वारा लैंगिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा।

भाग –3. कार्यकारी परिषद के सदस्यों का सेवाकाल चार वर्षों का होगा जो दो महासभा के बीच का अंतराल होगा। कार्यकारी परिषद के लिए अधिकतम सेवा काल, दो लगातार सेवाकाल होंगे।

धारा 13. सचिवालय

भाग –1. सचिवालय, महासचिव की निगरानी में कार्यकारी परिषद, AIPP सदस्य भागीदार तथा नेटवर्क के निकट सहयोग और तालमेल से किया जाएगा और यह सचिवालय, महासभा द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

भाग –2. सचिवालय में एशिया के आदिवासी होंगे जिनमें किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्यता होगी।

भाग–3. सचिवालय की निगरानी तथा प्रबंधन कार्य और विशिष्ट क्रियाकलाप तथा लक्ष्यों के क्रियान्वयन में सहायता के लिए महासचिव कार्यकारी परिषद के परामर्श से एक उपमहासचिव की नियुक्ति करेंगे।

भाग –4. सचिवालय के सदस्य महासचिव और कार्यकारी परिषद के प्रति उत्तरदायी है।

धारा 14. संशोधन

भाग –1. संविधान और उपनियम महासभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत द्वारा पूर्ण रूप से या अंशों में संशोधित, रद्द या परिवर्तित किए जा सकते हैं।

एशिया इंडीजीनस पीपल्स पैक्ट के उपनियम

धारा –1. सदस्यता शुल्क, अधिकार एवं विशेषाधिकार

भाग –1. AIPP के सदस्य बनने को इच्छुक संगठनों तथा आंदोलनों को आवेदन प्रपत्र भरकर संगठन के विषय कार्यकारी परिषद को जानकारी देनी होगी जो इनकी सदस्यता पर निर्णय लेगा। ऐसे देशों में जहां मौजूदा राजनैतिक हालात की वजह से जन संगठनों/आंदोलनों का वजूद नहीं है आदिवासियों के प्रबंधन या नेतृत्व वाले NGO पर सदस्यता के लिए विचार किया जाएगा, सदस्यता पर अंतिम अनुमोदन महासभा देगी।

भाग –2. सदस्यों को वार्षिक सदस्यता शुल्क देनी होगी जिसकी राशि सदस्यता की श्रेणी पर निर्भर होगी जो इस प्रकार है :–

- USD 20: स्थानीय श्रेणी (स्थानीय या सामुदायिक संगठन/आंदोलन)
- USD 35: उप राष्ट्रीय श्रेणी (राज्य या प्रांतीय स्तर के संगठन/आंदोलन)
- USD 50: राष्ट्रीय श्रेणी (राष्ट्रीय स्तर के संगठन/आंदोलन)

भाग–3. अच्छे आचरण वाले सदस्यों को यह विशेषाधिकार एवं अधिकार प्राप्त होंगे।

a. AIPP के दिशा निदशों तथा नीतियों के साथ ही साथ इसके संविधान तथा उपनियमों के विरूद्ध जान बूझकर कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। कार्यकारी परिषद संबधित उपक्षेत्र के सदस्यों के परामर्श से अस्थायी निलंबन जारी कर सकती है। स्थायी निलंबन पर निर्णय महासभा लेगी। कार्यकारी परिषद, सदस्यों को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत कर सकती है यदि वे क्षेत्रीय सचिवालय के सम्पर्क में नहीं है और उन्होंने कम से कम दो वर्षों से AIPP की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया हो। ऐसे सदस्यों को सचिवालय कारण बताओ पत्र भेजेगी। किसी सदस्य की निष्क्रिय स्थिति की समीक्षा महासभा द्वारा की जाएगी और वही किसी सदस्य निलंबन पर अंतिम फैसला लेगो। कोई भी निलंबित सदस्य कार्यकारी परिषद के माध्यम से सदस्यता के नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन दे सकता है।

b. सदस्यों को अधिकार होगा कि वे AIPP के कार्य कलापों पर अपनी राय दें साथ ही साथ सामान्य तौर पर AIPP से संबंधित मुद्दों तथा आदिवासियों के मुद्दों और संघर्ष को भी महासभा और कार्यकारी परिषद के ध्यान में ला सकते हैं।

c. सदस्यों को अधिकार होगा कि वो कार्यक्रम समितियों और अन्य समन्वय तंत्रों का हिस्सा बने जो AIPP द्वारा योजना निर्माण क्रियान्वयन तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन और AIPP की गतिविधियों के लिए स्थापित किए गए हैं।

d. विशेष बातों का ध्यान रखते हुए और कोष की उपलब्धता या विशिष्ट कार्यकलाप/कार्यक्रम के लिए निर्धारित बजट के अनुसार सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर AIPP की सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दी जाएगी।

e. जहां भी उपयुक्त हो योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राशि उपलब्ध कराने के साथ सदस्यों की सीधी भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

f. सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता और समर्थन का अधिकार होगा जैसे कि सदस्य संगठन के प्राथमिकता वाले/महत्वपूर्ण मुद्दो पर तकनीकी, वित्तीय तथा लाजिस्टिक्स (संभार तंत्र, साजो–सामान) की सहायता, यह कार्यकारी परिषद की क्षमता, क्षेत्रीय सचिवालय और कोष तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

g. विनिमय तंत्र, मुख्य मुद्दों की पहचान, आदिवासिया की चिंताओं, प्रतिपुष्टि देने, क्षेत्रीय सचिवालय द्वारा क्रियान्वित AIPP के क्रिया कलापों पर टिप्पणियां देने AIPP के कार्यक्रमा के लिए जरूरी जानकारी अन्य निवेश उपलब्ध करने, मुख्य गतिविधियों की पहचान तथा सांस्थानिक सुदृढ़ता के लिए अन्य गतिविधियों जैसे कि – समन्वय और संवाद तंत्र आदि के रूप में AIPP के उप क्षेत्रीय सभाओं में भाग लेने का अधिकार सदस्यों को होगा।

h. सदस्यों को AIPP सदस्यों के लिस्ट–सर्व पर प्रासंगिक सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने का अधिकार होगा यह उनके अपने संगठन की घटनाओं पर विचारों के आदान–प्रदान, मत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति, टिप्पणी प्रतिपुष्टि और AIPP की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा क्रिया कलापों पर निवेश (जानकारी तथा अन्य) के लिए चैनल होगा।

i. सदस्यों को अधिकार होगा कि वो AIPP के सभी प्रकाशन तथा अन्य सामग्रियां प्राप्त करें।

j. सदस्यों को अधिकार होगा कि वे कार्यकारी परिषद की बैठक का कार्य विवरण और सांगठनिक दस्तावेज समेत अनुरोध के आधार पर AIPP की वित्तीय रिपोर्ट, प्रस्ताव और सचिवालय के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करें।

k. सदस्यों को अधिकार होगा कि अन्य बातों के अलावा AIPP की गतिविधियों कार्यक्रमों सास्थानिक मुद्दों से संबंधित किसी भी मामले में क्षेत्रीय सचिवालय, कायकारी परिषद तथा महासचिव से सीधे सम्पर्क करें।

l. सदस्यों को दिशा निर्देशों के आधार पर AIPP के नए सदस्यों के समर्थन का अधिकार होगा।

m. सदस्यों को सचिवालय में किसी भी कर्मचारी पद के लिए उम्मीदवार के मनोनयन और/या समर्थन का अधिकार होगा।

भाग –4. सदस्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व

a. सदस्यों को AIPP के ज्ञान निर्माण तथा जानकारी के आदान–प्रदान की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए AIPP सचिवालय तथा कार्यकारी परिषद से संपर्क में रहने का तथा संगठन की घटनाओं पर नवीनतम जानकारियां देने और संबंधित जानकारियां बांटने का उत्तरदायित्व लेना होगा।
b. सदस्यों को AIPP के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को बढ़ावा देना होगा, AIPP के सभी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेना होगा तथा सभी निर्धारित सदस्यता शुल्क अदा करने होंगे।
c. जो सदस्य कार्यक्रम या परियोजना क्रियान्वयन में AIPP के भागीदार हैं उन्हें सदस्यों तथा AIPP के बीच हस्ताक्षर किए गए MOU या TOR के अनुरूप क्रियान्वयन करना होगा।
d. सदस्यों को महासभा में मानी गई नीतियों तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा जैसे कि वित्तीय नीति और लैंगिक नीति।
e. सदस्य अपने कायो का निष्पादन AIPP द्वारा स्थापित समन्वयन तंत्र के हिस्सों के रूप में करगे जैसे कि क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, निकायों और तंत्रों के लिए कार्यक्रम समितियां और समन्वय समितियां।

भाग–5. इस आधार पर किसी संगठन या आंदोलन की सदस्यता निलंबित या रद्द की जा सकती हैः–

a. किसी सदस्य को AIPP की नीतियों और दिशा–निर्देशों के साथ ही साथ संविधान तथा उपनियमों के विरूद्ध जानबूझकर कर आचरण करने पर सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। कार्यकारी परिषद संबंधित उपक्षेत्र के सदस्यों के परामर्श से अस्थायी निलंबन जारी कर सकती है। स्थायी निलंबन पर महासभा निर्णय लेगी। कार्यकारी परिषद सदस्यों को निष्क्रिय कोटि में वर्गीकृत कर सकती है यदि वे क्षेत्रीय सचिवालय के सम्पर्क में नहीं है और कम से कम दो वर्षों से AIPP की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया हो, ऐसे सदस्यों को सचिवालय कारण बताओ पत्र निर्गत करेगी। किसी सदस्य की निष्क्रिय स्थिति की समीक्षा महासभा द्वारा की जाएगी और वही किसी सदस्य के निलंबन पर अंतिम फैसला लेगी। कोई भी निलंबित सदस्य कार्यकारो परिषद के माध्यम से सदस्यता नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन दे सकता हैं।
b. संगठन या आंदोलन द्वारा AIPP छोड़ने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

धारा 2. महासभा : बैठक एवं कर्तव्य

भाग–1. महासभा की बैठक सभी सदस्यों को कम से कम 60 दिन की पूर्व सूचना पर आयोजित की जाएगी।

भाग–2. महासभा में आमंत्रित प्रतिनिधियों का कम से कम दो तिहाई महासभा का कोरम (कार्यवाहो संख्या) होगा। कोरम के अभाव में स्थगन की स्थिति में, स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग–3. महासभा के सदस्यों के यह कार्य, कर्तव्य होंगे।

a. AIPP की कार्य योजना के साथ ही साथ सामान्य कार्यक्रम, रणनीति, नीतियों तथा प्रस्तावों पर विचार विमर्श और अनुमोदन तथा एशिया में आदिवासियों की स्थिति की समीक्षा करना।
b. कार्यकारी परिषद की रिपोर्ट तथा समीक्षा की जाने वाली अवधि के खातों का विवरण (स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट) प्राप्त करना।
c. कार्यकारी परिषद द्वारा समर्थित उम्मीदवार सदस्यों की नियमित सदस्यता का अनुमोदन।
d. कार्यकारी परिषद द्वारा समर्थित उम्मीदवार सदस्यों की नियमित सदस्यता का अनुमोदन।
e. संगठन के सुचारू संचालन के लिए सांस्थानिक ढांचा तंत्र और प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा इन पर निर्णय लेना।
f. जैसा उचित हो कार्यकारी परिषद तथा महासचिव को कार्य सौंपना।
g. सदस्यों द्वारा महासभा के ध्यान में लाए गए किसी भी मामले पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना।
h. AIPP के बोर्ड सदस्यों का अनुमोदन।
i. AIPP के संविधान और उपनियमों का संशोधन एवं अभिपुष्टि।

धारा 3. न्यास बोर्ड : बैठक एवं कार्य

भाग–1. बोर्ड की बैठक प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगी।

भाग–2. बोर्ड सदस्यों के यह कार्य होंगे।

a. बोर्ड सदस्य वित्त प्रबंधन पर निगरानी रखेंगे और सचिवालय की अंकेक्षित वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे।
b. कार्यकारी परिषद के अनुरोध पर AIPP के कानूनी निबंधन की जरूरतों से संबंधित मामलों में बोर्ड सदस्य कार्यकारी परिषद को परामर्श देंगे।

धारा 4 : कार्यकारी परिषद :– बैठक गठन (संगठन) एवं कर्त्तव्य

भाग –1. कार्यकारी परिषद महासभा की बैठकों के बीच के अंतराल पर प्रति वर्ष कम से कम दो बैठकें करेगी।

भाग–2. कार्यकारी परिषद की बैठकों में कोरम इसके सदस्यों की कम से कम दो तिहाई होगी। कोरम के अभाव में स्थगन की स्थिति में स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग–3. महासचिव, अध्यक्ष की सलाह से कम से कम 30 दिनों की नोटिस (सूचना) पर कार्यकारी परिषद की बैठक का आह्वान करेंगे।

भाग–4. इन कसौटियों या योग्यता के आधार पर कार्यकारी परिषद के सदस्यों का मनोनयन और चयन किया जाएगा

a. AIPP के किसी सदस्य संगठन का सदस्य या सक्रिय नेता होना।
b. AIPP के एक सगठन के रूप में और इसके कार्यक्रमों के विषय मूलभूत जानकारी होना।
c. कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने के लिए उसके अपने संगठन का समर्थन प्राप्त होना।
d. उसके अपने संगठन या आदिवासी आंदोलन में सत्यनिष्ठा तथा अच्छे कार्य निष्पादन का ट्रैक रिकार्ड रहा हो।
e. आदिवासियों के अधिकार मुद्दों तथा कल्याण को बढ़ावा देने और इनके प्रति काम करने में गहरी प्रतिबद्धता हो।

f. AIPP के साथ अंशकालीन या पूर्णकालोन कार्य करने समेत, कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए समय और प्रतिबद्धता हो।

भाग–5 : कार्यकारी परिषद के लिए सदस्यों के चयन में लैंगिक संतुलन तथा युवाओं और बुजुर्गों को शामिल करने क लिए आयु स्तर पर वांछित ध्यान दिया जाएगा।
भाग–6 : कार्यकारी परिषद के सदस्य, सदस्यों द्वारा उप क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के चयन द्वारा आएंगे, नीच क उपक्षेत्रों का विवरण दिया गया है साथ ही उप क्षेत्र के ई.सी. प्रतिनिधियों की संख्या भी दी गयी है।

क्रम संख्या	चार उपक्षेत्रीय समूह	सदस्यों की संख्या	ई सी की संख्या
1.	पूर्वी एशिया, जापान, रूकीयस और ताईवान/चीन	6	1
2.	दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपीन, तिमोर लिस्टे, इंडोनेशिया और मलेशिया	7	2
3.	मकोंग : वियतमान, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड और बर्मा/म्यांमार	13	2
4.	दक्षिण एशिया : नेपाल, भारत की मुख्यभूमि, बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत	17	3
	सब टोटल		8
5.	अध्यक्ष और महासचिव जो महासभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए		2
6.	महिलाएं और युवा		2
		43	12

भाग 7 : कुल महिला और युवा प्रतिनिधियों का मनोनयन उनके अपने महिला एवं युवा प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुमोदन महासभा करेगी।
भाग 8 : महासचिव तथा अध्यक्ष का चुनाव, महासभा करेगी।
भाग 9 : AIPP के अध्यक्ष का मनोनयन तथा चयन निम्नलिखित कसौटियों तथा योग्यता के आधार पर होगा –

a. किसी भी सदस्य संगठन में सक्रिय नेता जिसकी आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता प्रभाव्य है।
b. कम से कम 3 वर्षों से AIPP की गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है।
c. आदिवासियों के साथ तथा इनके लिए कार्य करने में सत्यनिष्ठा का अच्छा ट्रैक रिकार्ड हो।
d. आदिवासियों के मुद्दों और चिंताओं की अभिव्यक्ति में निपुणता और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का कार्य (एडवोकेसी) करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव।
e. स्थानीय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के अधिकार के मुद्दों तथा चिंताओं का गहरा ज्ञान होना।

f. अध्यक्ष के रूप मे कार्यों के निष्पादन के लिए समय तथा निपुणता होनी चाहिए खास तौर पर अंशकालिक रूप में कार्य करने के लिए (कम से कम दस दिन प्रति महीने) या AIPP के लिए पूणकालिक कार्य।

भाग 10. निम्नलिखित मानदंड एवं योग्यता के आधार पर महासचिव का मनोनयन एवं चयन होगा :

a. किसी सदस्य संगठन का सक्रिय नेता जिसकी आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता प्रमाण्य है।
b. कम से कम तीन वर्षों से AIPP की गतिविधियों में सक्रियता से संलग्न है।
c. आदिवासियों के साथ तथा इनके लिए कार्य करने में सत्यनिष्ठा का अच्छा ट्रैक रिकार्ड हो।
d. आदिवासियों की चिंताओं और मुद्दों की अभिव्यक्ति और लेखन की निपुणता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर समेत विभिन्न स्तरों पर समर्थन कार्य (एडवोकेसी) और नेटवर्किंग का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव।
e. प्रस्ताव लेखन तथा कोष संग्रहण की निपुणता।
f. जमीनी स्तर पर आदिवासियों के विषय गहरी जानकारी और अनुभव या अदिवासी मुद्दों पर क्षेत्रीय या/ और अंतर्राष्ट्रीय कार्य से परिचित होना।
g. नेतृत्व क्षमता (काशल) और समन्वयन नेटवर्किंग तथा समर्थन जुटाने (एडवोकेसी) की निपुणता।
h. सचिवालय के साथ कार्य करने की मजबूत इच्छा और प्रतिबद्धता।

भाग 11. सचिवालय AIPP के कर्मचारियों मे से एक का मनोनयन कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य (जो मतदान में भाग नहीं लेता) के रूप में करेगा।

भाग 12. किसी सदस्य के कार्यकारी परिषद छोड़ने की स्थिति में संबंधित उपक्षेत्र के सदस्यों को कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से जल्द से जल्द उप क्षेत्र के लिए एक नए कार्यकारी परिषद सदस्य के मनोनयन को कहा जाएगा। सदस्यों के बीच आम सहमति न बन पाने के विशेष मामलों में कार्यकारी परिषद उपक्षेत्र से एक प्रभारी सदस्य का मनोनयन क्षेत्र में परामर्श समन्वय तथा संवाद के लिए करेगी, जब तक कि परिस्थितियां कार्यकारी परिषद के सदस्य के प्रतिस्थापन के लिए आम सहमति से चयन के लिए अनुकूल न हो जाएं।

भाग 13. यदि कोई सदस्य बगैर किसी न्यायोचित आधार के कार्यकारी परिषद (का॰प॰ या ई.सी.) की लगातार दो बैठकों में भाग न ले, न ही इसके विषय कोई सूचना ही दे तो कार्यकारी परिषद को ऐसे किसी भी सदस्य की स्थिति के वर्गीकरण का विशेषाधिकार होगा। इन परिस्थितियों में कार्यकारी परिषद उपक्षेत्र से संबंधित सदस्यों को निष्क्रिय कार्यकारी परिषद सदस्य की स्थिति के बारे में जानकारी देकर अपना दृष्टिकोण और अनुशंसाएं देने को कहेगी। प्रतिस्थापन की आवश्यकता होने पर उपक्षेत्र से संबंधित सदस्य एक नए का॰प॰ सदस्य का मनोनयन 6 महीने के अंदर या यदि समय हो तो का॰प॰ बैठक के पहले करेंगे या यदि प्रतिस्थापन का चयन इसकी उपक्षेत्रीय बैठक के दौरान किया जाना है। यदि उपक्षेत्र के सदस्य मनोनयन के लिए आम सहमति न बना पाएं तब का॰प॰ संबधित उप क्षेत्र के प्रभार वाले किसी का॰प॰ सदस्य का मनोनयन बचे हुए कार्यकाल के लिए करेगी।

भाग 14. यदि यह साबित हो जाए कि कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य ने AIPP के दिशा–निर्देशों या नीतियों का उल्लंघन किया है, या उसके कार्यों से हितों का टकराव प्रतीत होता हो, तब काई भी सदस्य संगठन कार्यकारी परिषद से अध्यक्ष के माध्यम से उपचारात्मक कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है। कार्रवाई के दौरान ई.सी. उचित प्रक्रिया का पालन करेगी, कार्रवाई में अस्थायी निलंबन से लेकर ई.सी. की सदस्यता तक रद्द की जा सकती है। पतिस्थापन के लिए इस मामले में भाग 5 में बिनाए गए कदम लागू होंगे।

भाग 15 : महासचिव द्वारा अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही कार्यकारी परिषद छोड़े जाने की स्थिति में कार्यकारी परिषद नए महासचिव की नियुक्ति के लिए विशेष महासभा के आयोजन के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अंतरिम अवधि के लिए कार्यकारी परिषद अपने एक सदस्य की नियुक्ति कार्यकारी महासचिव के रूप में कर सकती है।

भाग 16 : कार्यकारी परिषद के निम्नलिखित सामान्य कार्य होंगे –

a. दो महासभा क बीच की अवधि में कार्यकारी परिषद संगठन की निर्णय निर्माण निकाय होगी।
b. कार्यकारी परिषद के प्राथमिक कार्य में कार्य के अनुसार नियतकालिक रणनीतिक योजना तथा महासभा के आदेश और दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन समेत AIPP के क्रियाकलाप का निरीक्षण एवं निर्देशन शामिल होगा।
c. कार्यकारी परिषद AIPP के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देशों तथा नीतियों का निरूपण करने के साथ ही साथ सांस्थानिक सिद्धांतों, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को भी लागू करेगी।
d. कार्यकारी परिषद AIPP के क्रियाकलापों के नियतकालिक मूल्यांकन समेत, इन क्रियाकलापों पर सदस्यों से प्राप्त सुझाव, टिप्पणियां, अनुशंसाएं और अन्य चीजें प्राप्त कर उन पर कार्यवाही करेगी।
e. कार्यकारी परिषद AIPP के कार्यक्रमों और गतिविधियों की सहायता के लिए संसाधन संग्रहण समेत कार्यक्रम रणनीति और क्रियान्वयन से संबंधित अनुशंसाओं पर कार्यवाही के लिए महासचिव को अधिकृत करेगी।
f. कार्यकारी परिषद महासचिव (म॰स॰) द्वारा कार्य तथा अधिदेश के संबंध में की गयी कार्यवाही पर प्रतिवेदन प्राप्त कर इनकी समीक्षा करेगी।
g. कार्यकारी परिषद सचिवालय के सहयोग से कार्यकारी परिषद की रिपोर्ट तैयार करने समेत, महासभा की तैयारी तथा आयोजन के लिए उत्तरदायी होगी।
h. कार्यकारी परिषद वार्षिक अंकक्षित वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त करेगी और AIPP के कार्यक्रमों तथा गतिविधियें की सहायता के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगी।
i. कार्यकारी परिषद AIPP कार्यक्रमों की वार्षिक योजना का अनुमोदन करेगी।
j. कार्यकारी परिषद AIPP कर्मचारियों के लिए नीतियों तथा दिशा–निदशों की समीक्षा कर महा सचिव (म॰स॰), उप महासचिव(उ॰म॰स॰) तथा सचिवालय की अनशंसाओं पर कार्यवाही करेगी।
k. कार्यकारी परिषद कर्मचारी सदस्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की समीक्षा करेगी।
l. कार्यकारी परिषद के सदस्य AIPP कार्यक्रम समितियों के संयोजक होंगे।
m. कार्यकारी परिषद AIPP के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बनाए रखने और क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी तथा इस पर महासभा को रिपोर्ट करेगी।

भाग 17: कार्यकारी परिषद (का॰प॰) के प्रत्येक सदस्य के लिए निम्नलिखित कार्य और कर्त्तव्य होंगे–

a. नियमित तौर पर संवाद तथा सम्पर्क बनाए रखना और का॰प॰ के क्रिया कलापों से संबंधित सूचनाओं पर प्रत्युत्तर देना।
b. का॰प॰ के टेले–कान्फ्रेंस में भाग लेना।
c. का॰प॰ की बैठकों में हिस्सा लेना।

d. उ॰म॰स॰ तथा सचिवालय के सहयोग तथा म॰स॰ की सलाह से संबद्धित उपक्षेत्र में उपक्षेत्रीय बैठक के आयोजन की तैयारी तथा समन्वय करना।
e. जहां उपयुक्त हो और आग्रह किया जाए वहां AIPP की गतिविधियों में हिस्सा लेना।
f. जहां उपयुक्त हो AIPP का प्रतिनिधित्व करना।
g. संबद्धित उपक्षेत्र में नेटवर्किंग का संचालन एवं सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण में सहायता देना।
h. संबंधित उपक्षेत्र के आवेदक संगठनों के मान्यकरण प्रक्रिया में सहयोग करना जिसमें संबंधित उपक्षेत्र के AIPP सदस्यों से सलाह मशवरा भी शामिल है।
i. कम से कम एक AIPP कार्यक्रम का संयोजक या सह–संयोजक बनना तथा सचिवालय के साथ नजदीकी तालमेल बनाए रखना।
j. कार्यक्रम की योजना तथा क्रियान्वयन के लिए परामर्श या दिशा–निर्देश देना।
k. जहां जरूरी या उपयुक्त हो उनके अपने उपक्षेत्र के कर्मचारी आवेदकों के साक्षात्कार में सहयोग देना।
l. का॰प॰ द्वारा नियत अन्य कार्यों का निष्पादन।

धारा 5. कार्यक्रम समितियां : संगठन एवं कार्य

भाग 1. कार्यक्रम समितियों का संगठन एवं मानदंड निम्नलिखित पर आधारित होगा –

- सदस्य संगठनों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जिनमें आवश्यक निपुणता, ज्ञान और जिनके पास संबंधित समिति का सक्रिय सदस्य बनने का समय हो।
- नेटवर्क के आदिवासी नेता जिनमें मुद्दों/कार्यक्रम विशेष पर विशेषज्ञता हो या अपने स्वयं के संगठन, संस्था या समुदाय में कार्यक्रम विशेष से संबंधित मुद्दों से प्रत्यक्षतः संलग्न हों।
- कार्यक्रम समितियों के गठन में लैंगिक संतुलन उपक्षेत्र से प्रतिनिधित्व लिंग और युवाओं की सहभागिता की सामान्य कसौटी लागू की जाएगी।

भाग 2 : सदस्य संगठन न्यायोचित आधार पर कार्यक्रम समितियों में अपने प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कार्यकारी परिषद प्रभारी, महासचिव तथा कार्यक्रम संयोजक को इस आशय की अधिसूचना जारी कर ऐसा कर सकते हैं।

भाग 3 : कोई भी सदस्य जो 1 वर्ष से सम्पर्क में नहीं (संवादहीन) है या कार्यक्रम समिति की बैठकों तथा गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया हो उसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाएगा तथा संबंधित उपक्षेत्र के सदस्य संगठनों की सलाह पर और कार्यक्रम समिति की अधिसूचना द्वारा उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा।

भाग 4 : आदिवासी विशषज्ञ जो 1 वर्ष से सम्पर्क में नहीं (सवादहीन) है या जिसने कार्यक्रम समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया हो उसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाएगा और उसका प्रतिस्थापन कार्यकारी परिषद प्रभारी और महासचिव की सलाह पर कार्यक्रम समिति की अधिसूचना द्वारा कर दिया जाएगा।

भाग 5 : AIPP कार्यक्रम समितियों का प्राथमिक कार्य कार्यक्रम और इसके सीमा क्षेत्र के अंदर की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी कर्मचारी को सलाह तथा दिशा–निर्देश देना होगा।

भाग 6 : समितियां दो वर्षों में कम से कम एक बार पिछले वर्ष क्रियान्वित कार्यों की प्रगति के मूल्यांकन तथा आने वाले वर्ष की योजना बनाने के लिए, बैठक का आयाजन करेंगी।

भाग 7 : समितियां अपने सीमा क्षेत्र के अंदर के कार्यक्रमों और गतिविधियों के क्रियान्वयन से संबंधित AIPP सदस्यों तथा सम्पर्कों से सलाह, टिप्पणी, अनुशंसा तथा अन्य चीजें प्राप्त कर म॰स॰ / उ॰म॰स॰ तथा अध्यक्ष की सलाह से उन पर कार्रवाई करेंगी।

भाग 8 : संबंधित कार्यक्रम समितियों में कार्यकारी परिषद के प्रतिनिधि महासचिव/ उ॰म॰स॰ समर्थन तथा संबंधित कार्यक्रम संयोजक के सहयोग से कार्यक्रम की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में सक्रियता से दिशा निर्देश प्रदान करेंगे।

भाग 9 : कार्यक्रम समिति में कार्यकारी परिषद का प्रतिनिधि परिस्थितियों के अनुसार और मामलों के आधार पर (केस टू केस बेसिस) अपना कार्य का॰प॰ के दूसरे सदस्यों को सौंप सकता है।

भाग 10 : AIPP के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को बनाएं रखने तथा इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कदम कार्यक्रम समितियां उठाएंगी तथा अपने कार्यों की प्रगति पर संबंधित कार्यक्रम समितियों में कार्यकारी परिषद के प्रतिनिधि के माध्यम से परिषद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

भाग 11 : जब निष्क्रिय सदस्यों की वजह से कार्यक्रम समितियां सुचारू ढंग से कार्य न कर पाएं ऐसी स्थिति में सचिवालय एस जी/ उ॰म॰स॰ के माध्यम से नियुक्त ई.सी. सदस्य की सलाह पर कार्यक्रम समितियों के सदस्यों के पुनर्गठन के लिए कदम उठाने की अनुशंसा करेगा।

धारा 6 : रूल ऑफ आर्डर

भाग 1 : AIPP आम सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखेगी। यदि इसके सदस्यों में आम सहमति संभव न हो तब निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा प्रति देश एक वोट/भौगोलिक प्रभाग (AIPP) के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

a. प्रत्येक देश/भौगोलिक प्रभाग में इसके मत पर सदस्यों के बीच मतदान कराया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक देश/AIPP का भौगोलिक प्रभाव महासभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करेगा।

धारा 7 : AIPP सचिवालय

भाग 1 : AIPP की वित्तीय सक्षमता और कार्यक्रम क्रियान्वयन की आवश्यकता पर सचिवालय का संगठन निर्भर करेगा।

भाग 2 : कार्यकारी परिषद तथा महासचिव द्वारा उपमहासचिव के लिए टी.ओ.आर. के अलावा कार्य और प्राथमिकताएं निरूपित को जाएगी। महासचिव तथा कार्यकारी परिषद नियमित तौर पर उप महासचिव के प्रदर्शन (कार्य निष्पादन) का मूल्ययांकन करेंगे।

भाग 3 : सचिवालय की कार्यवाही का॰प॰ द्वारा अनुमोदित AIPP के दिशा–निर्देशों और समीक्षा सचिवालय या किसी भी का॰प॰ सदस्य से प्राप्त अनुरोध या अनशसाओं के आधार पर होगी।

भाग 4 : निगरानी तथा अन्य कार्यों के लिए जरूरत के आधार पर सचिवालय स्वयंसेवकों को शामिल कर सकता है या किराए पर ले सकता है।

भाग 5 : AIPP सचिवालय के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :–

a. सचिवालय महासचिव के माध्यम से अपने कार्यों की प्रगति पर कार्यकारी परिषद को रिपोर्ट देगा।
b. सचिवालय दानकर्त्ताओं के लिए परियोजना प्रस्ताव, वर्णन और वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने के साथ ही साथ AIPP का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
c. सचिवालय AIPP के संविधान तथा उपनियमों का पालन करने के साथ ही साथ AIPP की नीतियों तथा दिशा–निदशों के प्रति निष्ठा रखते हुए इनका क्रियान्वयन करेगा।

धारा 8 : कार्यान्वित होना(लागू) और संशोधन

भाग 1 : सदस्या द्वारा अनुसमर्थन के बाद तुरंत प्रभाव से यह संविधान तथा नियम लागू हो जाएंगे।